मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 दिसम्बर 2004

सं० ए-19011/02/2002-प्रशा०-I---राष्ट्रपति, श्रीमती अनुराधा मानसिंह, भ,०प्र०से० (गुजरात :70) को उनके व्यक्तिगत आधार पर, राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार समझौता, मंत्रिमंडल सचिवालय के वर्तमान अध पद का अपर सचिव से भ.रत सरकार के सचिव स**ार** उन्नयन करके, 29 मई, 2004 से 26,000/- रु० (निय के वेतनमान में अध्यक्ष एवं भारत सरकार का पदेन स नियुक्त करते ह ह

राम सिंह यादव, अवर सनि

राष्ट्रीय प्राधिकरण

रासायनिक हथियार समझौता

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर 2004

सा०का०नि० (फा॰सं॰ए-12018/1/2003-एन०ए०) ---राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग भरते हुए, राष्ट्रीय प्रधिकरण, रासायतिक हथियार सनझौताः मंत्रिमंडन सचिव तथ में कतिगय (सतूह 'क' और 'ख पदों पर भर्ती की पद्वति का विधियन करने के लिए जिम्तीजीवा तियन बनते हैं, अर्थात्:--

 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनि ह हथियार समझौत मंत्रिमंडल सचिव।लय (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होता :- यह नियम इससे उगावद जनुसूची के स्तम्म 1 में बिर्गिइड्ड गदों को लागू होंगे ।

3. पद-संख्या, वर्गी तरण और वेतनगतः - उक्त पदों की संख्या, उन ता वर्गी करग और उनके केतातान के होंने, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिदिष्ट हैं।

د. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता आदि :-- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हताएं और उससे संबंधि अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूचो के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिदिष्ट द्वै।

5. आर भिक गठन :-- इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को अयवा उससे पूर्व राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायतिक हथिया समझौता में नियुवत किए गए व्यक्ति (यों) को इन नियमों के अधीत सियुवत किनतगया समजा जाएगा।

6. निरई ता :- वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिस हा पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनो पतो के जोते। रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हैं,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार क लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों [;] प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

7. शिथिल करने की शक्तिः ≔ज हां केन्द्रीर सरकार की पहुराय है कि ऐसा करना आवश्य हया समीची⊺ हैं, वहाँ वह उस लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तया संघ लोह सेवः अयोग से घरामर्श करने इन सिम्मों के हिसी उनबंध को किर्स बर्गया प्रदर्ग के व्यक्तियों की ब.बत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. व्यावृत्ति :- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए अदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रदर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अनेकित है। भाग 1- खण्ड 2]

		R 5	अनुस्	ची	n far na Mari	
गद का नाम	पदों की संख्या	दर्गी _क रण	वेतनमान (रुपए)	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. सत्राहकार	1* (2004)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्नित अननुसचिवीय	16400-450- 20000 হৃ০	ल≀गू नहीं होता	लागू नहीं होता	नहीं
	*कार्यभार					
	के आधार पर परिवर्तन					а — 4 У Х
	किया जा सकता है					
गित्रे भर्ती किए यक्तियों के लिए गैक्षिक और अन्य	र अपेक्षित	विहित	आयु और गौ	ताले व्यक्तियों ने क्षेक अईताएं, प्र ागू होंगी या नहीं	प्रोन्नत	परिवीझा की अवधि, या कोई हो ।
(8)			(9)		(10)
लागू नहीं	होता		लागू न		लागू नहीं होता	
		- 1 - 1				
ारा या प्रतिनिय	ः भर्ती सीचे होगी पुक्ति ढारा या अ इतियों ढारा भ ता	मित्रत दारा	भोस्तति/प्रति प्रोस्तति/स्वात	नेयुक्ति/अभिजन उटग/ अभ्वेजन वि	ढारा भर्तो की द किना जाएगा	शि। में वे श्रेणियां जिन
	(11)			an a	(12)	
प्रतिनियुक्ति ति इतिदाभी हैं।		अल्प कालि क	केन्द्रीय सरक उ पक्रमों या	र के अधीन अधि राज्य या संघ	राज्यक्षेत्रों या विष	भो हैं): सःनेपर पब्लिक सेक्टर विविद्यालयों या मान्यताप्राप तंगठनों के ऐसे अबि कोरी:
			(क) (i)		या तिमान में नि	च गठना के एस आब हतराः गतित अत्वार पर सद्दृण प
			(ⁱⁱ)	जिन्होंने मूल का समतुल्य वेतनमान	डर या विभाग में	14300-18300/- रुपए र पर निगुझित के पण्चल् उ
			(iii) f	जन्होंने मूल का	।डर या विमाग में	12000-16500/- रु० पर नियुक्तिके पद्मात् उ

The set of some in the second s

(11)	<u></u>		(12)		
	(ख) जिनके पास आवश्यक :	निम्नलिखित शौ	क्षिक अर्हताएं और अनुभ	वहोः-
		(i) िसी म औद्योगि	त रसायन त्रिज्ञ	वतिद्यातप या संस्थात से ान_में मास्टर डिग्री या इजीतिवरी में उपाछि य	र'सायनि _य ं प्रौद्य
		(ii) किसी में.जो लगा हुः जिसमें समय अ	ऐसे तल्नीकी य कार्बनि तरसाय क्षा है, प्रबंधर्क से रसायनिक इन्न बिनियम के का	ग अगुजंधात संगठत या नों और लार्बनि हरस य नेव तकनीकी पद पर बा लई के प्रशासन या रास वर्षित्व ग्न और राज्य सरम के पारस्तरिक प्रवर्तन में च	औद्योगि ह समुत्था त उद्योग के क्षेत्र [‡] त्रह वर्ष का अनुभय त्यनिक आयुध अभि कारों या अन्तर्राष्ट्री
		जिसके अंगं. के इस नियुक्ति कंठे नियुक्ति (जिज्ञ के पांच वर्ष से आधि	न्द्रीय सरकार के पहले धारि अंतर्गा अल्पका क नहीं होगी	तसके अंतर्गत अल्पकालि के उसी याहियों अन्य ताहिसी अन्य काडर लेहसंविदाभो है) को अ । प्रतिशिक्षीता (जिन्हे	संगठाय। तिम ग ब हा पद पर प्र अक्ते है साध-रगा अर्गन अल्पकालि
	n 2 ⁿ .			लिए अग्रिकाम अपु-सीन से अधिक नहीं होगी ।	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती	करने में किन परि	स्थितियों में संघ	र लोक सेवा आयोग में प	रत्मर्श किया जाएगा
(13)	-			(14)	- "
(13)	राज्य स	रहरों या संव रा	ग्र क्षेत्रों पा वि	र रोवान में या मान्यता ग	ा अन्तरंग्रन संस्थ
लागू नहीं होता	या स्व . संविदा का सं ^ष	भी है) पर कितो	नी कररों को	सं प्राागगुल्हा (ाजत क ो निगुर्निहाया इन हि समय संघ लोक सेवा अ	ज्ञांगे अल्ग्रा नग्नां क _{विसा} उ
	या स्व . संविदा का सं ^ष	भी है) पर किसो गोबन करते या कि कि है ।	ती करो को साथिल करते स	ो निगुमित तथा इन नि	ज्ञांगे अल्ग्रा नग्नां क _{विसा} उ
	या स्व . संविदा का सं ^ष	भी है) पर किसो सोधन करने या कि क है । अनुसूर	्रायेकारो को शायिल करते स वी	ो तेर्गुनिग थि। इन नि समय संघ लोक सेवा अ	अंतर्ग अल्स्का तेस्रतां कृतिसा उप अत्योग से परत्मर्शव
लागू नहीं होता	या स्व . संविदा का सं ^ष आवण्य	भी है) पर किसो सोबन करते या कि क है। अनुसूर वेतनमान	ती करो को साथिल करते स	ो निगुमित तथा इन नि	अ तर्ग अल्स्का ते स्वां क ित्सा उ अत्योग से परत्मर्श व वया सेवा में जोड़े

16500 至0

हीता

2. सयुक्त निदेशक

साध रण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' 2004 राजपत्नित अननुसचिवीय

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन

किया जा A VICE &

(0-

धे भर्ती किए जाने वत्त्वे व्यान्त्र व्यान्त्र वितयों के तिए अपेक्षित	सीधे भर्ती िए जाने व ले व्यक्तियों के जिए विधित प्रयु और शौभन अईताएं प्रोन्नत	परि गीअग की अवधि, यदि कोई हो ।
क्षेत्र और अन्य अईताएँ	व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
र्तीकी पद्धतिः भर्ती सीधे होगीया प्रो । राया प्रतितिकुति द्वाराया अन्तेता । थ। विनिन्न पद्धतियों द्वारा भरेजाने । दोंकी प्रतिज्ञतता	इत्याः प्रोप्तति/स्थातातरण/असिता किया जाएगा	दशामें वे श्रेणियां जिनसे
(11)	(12)	anna an fhairte an Anna an Anna anna an Anna an Anna an Anna an Anna an Anna anna Anna anna Anna an Anna an Ann
प्रतिनियुनित जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी ह ।	प्रतिति गुनित (तित के प्रंतोत अल्प कति क संवि केन्द्रीय सर जर के अधीन अधिकारी जिसकेन हो उपक्रमों या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र या अनुसंध,न संस्थानों या स्वगासी निकायों या का (क) (i) जो मूल ६ाडर या दिभाग में निय िल्ए हुए हैं; या	। स⊹त्ने पर पब्त्तिक सेक्टर के विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त नूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी
	(ii) जिन्होंने मुल काडर या विभाग में समतुल्प वेतनपान में नियमित आध श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो ; अ	गर पर तियुक्ति के पश्चात् उस गैर
	(ख) जितके पास निम्तलिखित शैक्षिक अर्हतार आवश्यक :	र और अनुभव हो :
	(i) िसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय य औद्योगिक रसायन विज्ञान में मास्टर या रसायनिक इंजीनियरी में उप (ii) िसी ऐते तक्तीकी या अनुसंधान में, जो कार्बनिक रसायनों और का लगा हुआ है, प्रबंधकीय तक्तीकी प (प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गे अल्प अंतर्ग कन्द्रीय सरकार के उसी या किसी नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसो अन्य क (जिसके अंतर्गे अल्पक तिक संविद्या भी है) वर्ष से आंग्र क नहीं होगो । प्रति गुनिंग (ति भी है) द्वारा नियुक्ति क जिए आंधकतम अ अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं	डिग्री या रासायनिक प्रौद्योगिर्क ाधि या समतुल्य । त संगठन या औद्योगिक समुल्या विकि रसागन उद्योग के क्षेत विकि रसागन उद्योग के क्षेत वि पर दस वर्ष का अनुभव । पकालिक संविदा भी है), जिस अन्य संगठन या विभाग में इ तडर बाह्य पद पर प्रतिनियुवि को अवधि है साझारगाया चा को अवधि है साझारगाया चा गढ़ ने के स्विदा प्राप्त करने क
यदि विभ गीय प्रोन्नति समिति है तो उसका संरवना	भर्ती करने में िन परिस्थियिों में संघ लोक सेवा	आयोग से परामर्श किया जाएग
(13)	(14)
लागू नही होता	राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्य संस्थानों या स्वतासो तिगयां या कातूनो संगठनो अल्पक लि ह संविदा मो है) पर हिनो न जे कारी की किसी उपबंध या संशोधन करने या शिथिल करते पर पर्ण करनार अल्पनन के	सि प्रतिनियुक्ति (जिस के अंतग तियकित तथा दन जिल्लाभे

मोरत का राजपत्र, जनवरी 15, 2005 (पीच 28, 1926). [भाग 1-वण्ड 2

48	मोरत	का राजपत्र, जनवर	का राजपत्र, अनवरी 15, 2005 (पीष 28, 1926)						
	and provide a second	a de atra e	अनुसूची			n anna an Saine Saine			
रद का नाम	पदों की संख्या	वर्गी _क रण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीबे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय			
(1)	(2)	(2)		(-)	आयु सीमा	है या नहीं			
Theory of the Local Division in which the	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
3. उप-	$1^*(2004)$	साध। रण केन्द्रीय	10000-	लागू	लागू	नहीं			
निदेशक	1*(1998) *कार्यभार के		325-	ं नहीं	नहीं				
		सेवा, समूह 'क'	15200	होता	होता				
	आधार पर परिवर्तन किया	राजपत्नि त	হ ০		0 5 8 5 5				
	जा सकता है	अननु- सचिवीय							
सीधे भर्ती किए			र्ती किए जाने व्य		17.1 · •	परिवीक्षा च			
म्यक्तियों के लि			अःयु और शैक्षि ह			अवधि, यदि			
गौक्षिक और अ	ान्य अहेताए	व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं। कोई ह							
(8)		(9) (10)							
लागू नही	होता	लागू नही होता नागू नहीं ही							
भर्ती की पद्धति सीधे होगी या		प्रोन्नति/प्रति ियुर्ग स्थानांतरण/अ.मे	क्ते/आमेलत ढारा जिन किया जाएग	भर्ती की द	शा में वे श्रेणियां जिनसे	रे प्रोन्तति/			
दारा या प्रति द्वारा या अमि तथा विभिन्न	तियुक्ति लन ढारा								
बारा भरे जान									
पदों की प्रतिष									
(11)				(1)	2)				
प्रतिनियक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है -		प्रनिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केन्द्रीय सरकार के अधी र अत्रिकारी जिसके त हो सकते पर पश्तिक सेक्टर के उपकम या राज्य या संघ र,ज्यक्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंघान संस्थानों य स्वशासी तिकायों या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी :							
					विनित आधार पर सद	श पद ध ारग किए			
		(ii) जिन्होंने में नियमित आ	मूल काडर य। धार प र नियुक्ति	विमाग में के पण्चात् उ	8000-13500 रुपर उस श्रेणी में पांच वर्ष	या समतुल्य वेततम तेवाकी हो; या			
		(iii) जिन्होंने	में नियमित आधार पर नियुक्ति के पण्वात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 6500-10500 रु॰ या संगर्हा वेतत्रान के नियमित आधार पर तियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की हो ; और						

3

लागू नहीं होसा

49

नागू नहीं होता

[2]		भाषत का रावपन	, जनवरी 15,	2005 (पोष 25	5, 1928)		49			
1	(11)					(12)				
		(জ্ব) তি	निके पास निम्नलि	खेत शौक्षिक अर्हत	ाएं और अनुभव	हो :	and the second se			
		अवश्यक	:							
		· ·	सी मान्यता प्रााप्त							
	5 · •		वेज्ञान में मास्टर वि	इग्री या रासायनि	क तौ यो ते को	रा रासारां	निस इंजीतियरी			
		में उपाधि	ा या समतुल्य ।							
		(ii) fa	त्सी ऐसे तकनीकी	या अनुसंधान संग	ठन या औद्योगि	क समुत्थान	में, जो कार्बतिक			
		रसायनों	और कार्बनिक र	सायन उद्योग के ध	तेत्र में लगा हुअ	है, प्रबंध	कीय या तकनीकी			
		पद पर	पांच वर्षका अनुभ	वि।						
		प्रतिनियुन्ति	ाकी अवधि (जि	सके अंतर्गत अल्प	कालिक संविदा	भी है), जि	सके अंतर्गत केन्द्रीय			
							ठीक पहले धारित			
							संविदा भी है) की			
							तसके अंतर्गत अल्प-			
		कालिक सविव	ाभो है) द्वारा वि	नेयुक्ति के लिए	र अधिकतम आ	यु-सीमा आवे	दन प्राप्त करने की			
		आतम ताराख	ाको 56 वर्ष से अ	धिक नहीं होगो	1					
दि विभ.गीय तो उसकी) प्रोन्नति समिति संरचना	¢.	ार्ती करने में किन	परिस्थिं में संघ	लोक तेवा अल	योग से पराम	नर्श किना जाएगा			
	(13)				(14)	and the second sec			
	लागू नहीं होता	राज्य स	राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मत्रता प्राप्त अनुसंधान							
							ा शारत अनुसंधान (जिसके अंतर्गत			
		अल्पका	जिक्त गंदिरा थो	11141 41 4111 =	ग सगउना स	ALILIA 9 14 1	(गिसक अतगत			
		किसी	जगतंत का गणी	ह) पर किया	मात्रागरा क		तयाइन नियमों के			
			जनवे का संगा र्ग करना आवश्यक		रिशायल करत	सनन सम्ब	तोब सेवा आयोग से			
			त करना जापत्वक	£ I						
				ن بندیم			· ·			
			अनृसूच	Π						
द का नाम	पदों की संख्या	द र्गी कर गे	बेतननान	चरा, अथवा	सी जे भती	f तर	क्या सेवा में जोड़े			
			(रुपए)	अचरा पद	जाने वाले व	ागि ग	गर् वभौ का फायदा			
		10 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 -			के लिए आ	पु-सीमा	अनुज्ञेय हैं या नहीं			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)			
4. तःनीकी		साधारण	6500-200-	लागू नहीं हे	ता लग	नहीं होता	नईौँ			
अधि कारी	(2004)	केन्द्रीय सेवा,	10500 瓦0							
		समूह 'ख',								
		राजपत्नि त								
	*कार्यंभार के	वनपुसचिवीय	ł							
	आधार पर परिवर्तन किषा									
	पारपतन किया जा सकता है									
The off		frank								
	किए जाने वाले व्य अपेक्षित शैक्षिक और		सीधे भर्ती किए ज इतिंद अग्र और				की अवजि, यदि को			
अहर्ताएं	প্ৰথম আজাক পাৰ	्जाप	विहित आयु और व्यक्तियों की दशा			हो ।				
	(2)	an an fill the strength of the	-नात्तत्वा का दशा		ו קעו ו		(
	(8)	Canadian for the state of the s	- Official and the second s	(9)	ange d'Y gang barr to "anjanag barr daward" ng mbart " to		(10)			
	There are a second to the seco		A.				2: >			

लागू नहीं होता

•

0

भारत का राजभन, जनवरो 15, 2005 (पौष 25, 1926).

85 भाग 1- रूण्ड 2

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी यः प्रोन्तति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या अ.मेता द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्व.रा भरे ज.ने वाले पदों की प्रतिशतता	त्रोन्नति/स्रीतिनियुवित/आमेलन द्वराभर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रीन्तति/स्थानां जरग/नाने जन किया जाएगा
(11)	(12)
त्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ।	प्रतिियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकातिक संबिद भी है) : केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारी जिसके न हो सजने पर पबित्रक सेक्टर के उपक्रमों या राज्य या संघ राज्यक्षेत्रों या विक्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वगासी जिहायों या कातूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी :-
	(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारग िए हुए हं ; या
	(ii) जिन्हों ोे मूत काडर प सिप्ता में 5500——9000 रुपए या समतुल्य वेजनमात में निगति । ज घार गर तिगुति कि पण्या र् उस श्रेणी में तीत वर्श्व सेवाकी हो ; या
e a secondaria de la composición de la c	(iii) जिन्होंते मूल काडर या तिमाग में 5000 – – 8000 हार या समतुल्य वेततमान में गिरीना आधारार गिर्नुोना क पक्ष्वत् उस श्रेणी में 6 वर्षकी सेवाहो ; और
	(ख) जिन हे पास निम्नतिबित शौक्षिक अहतीएं और अरुभव हो
	आवश्यक :
ara e e e e e e e e e e e e e e e e e e	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वतिद्यालय या संस्थान से रसापन विज्ञान या औद्योगि इ रसारत विज्ञान में मास्टर डिंग्रो या रासावति इ श्रौद्योगिनी या रासायांकि इंजीसिग्री में उपाधि या सनतुल्य ।
	(ii) किसी ऐसे उन्नोको मा गुर्गमा संगठाय प्रौबोगिन सपुत्यान में जो कार्वतिक रसायनों और कार्वतिन रस पर उद्योग कक्षेत्र में लगा हुआ है तकर्मकी पद पर दो वर्ष का अनुभव ।
n An An An An An An An A	(प्रतिियुक्तिको अवत्रि (तित्र न रागि अत्यकति न संविदा भो है), जिसके अंध्रगै कन्द्रीय सरहार के उसी या कितो अन्य तंगडा वा विवाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले वारित हितो अन्य काडर वाह्य पर प्रतितियुक्ति (जिस के अंतर्गत अत्यक निक जोन्द्रिया भो है) को प्रस्तेय हे साधारगासा चार्
lan	वर्षसे अधिक हो होगा। परिति गुनि। (ोताडा ति अस्तकति संविदा भी है) द्वारा तिगुनि। क तिर् अधिक तर्गुनो (। अत्येडा प्राप्त करते की अंतिम तारीख को 56 वर्षसे अधिक नहीं होगी।
-	
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	मर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लो <i>ः</i> सेवा अत्योग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(-14)
र स	राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों गा पिर दिया तमें पा मन्मा प्राप्ता अनुसंधान संस्थानों या स्वजाली तिह यां पति कृत्ता संगठमों ते प्रोतियुद्धित (जित्र हे प्रार्गत प्रवर्तकालिक संभिद्ध भो है) पर हित्रो अधिकारी की दियुद्धि तिया इन तिरमों क किसी उपबंध का संशोधन करने या शिथिज करते साम संघ लाक से क आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
	राज् शर्मा, संयुक्त सचिव

PART I-SEC. 2]

THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 15, 2005 (PAUSA 25, 1926)

59

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 3rd January 2005

No. A. 22017/3/2004-PMA-Shri Jyotindra Nath Dixit, IFS (Retd), National Security Advisor, expired on the forenoon of 3rd January, 2005.

P. K. ROY, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 31st December 2004

No. RS/3(i)/2004/98-Perl.-Shri Nagendra Kumar Singh who was earlier appointed to officiate as Director (LARRDIS) against an ad-hoc vacancy in the grade vide Notification No. RS/3(iv)/2004/65-Perl dated 1st September, 2004 has now been appointed on a regular basis in that grade with effect from the forenoon of 31st December, 2004, until further orders.

VANJULA G. RAJAN; Under secy.

No. RS/3(i)/2004/99-Perl .- The Hon'ble Chairman, Rajyz Sabha has been pleased to appoint Shri P. R. Guing Roy. Deputy Secretary in the Rajya Sabha Secretariat as Director

in that Secretariat with effect from the forenoon of the 31st December, 2004 until further orders.

2. The above appointment would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

VANJULA G. RAJAN, Under Secy.

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 24th December 2004

No. A-19011/02/2002-Ad.I.-The President is pleased to appoint Smt. Anuradha Mansingh, IAS (GJ:70) as Chairperson & ex-officio Secretary to the Government of India in the pay scale of Rs. 26000/- (fixed) with effect from 29th May, 2004 by upgrading the existing post of Chairperson, National Authority, CWC, Cabinet Secretariat from the level of Additional Secretary to the level of Secretary to the Government of India as personal to Smt. Anuradha Mansingh.

R. S. YADAV, Under Secy.

NATIONAL AUTHORITY CHEMICAL WEAPONS CONVENTION

New Delhi, the 30th December 2004

G.S.R. (F. No. A. 12018/1/2003-NA)-In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain (Group 'A' and 'B') posts in the National Authority for the Chemical Weapons Convention, Cabinet Secretariat, namely :---

- 1.
 - Short title and commencement :--(1) These rules may be called the National Authority, Chemical Weapons Convention, Cabinet Secretariat (Group 'A' and 'B' Posts) Recruitment Rules, 2004.
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application :- These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.
- 3. Number of posts, classification and scales of pay :-- The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the said Schedule.
- 4. Method of recruitment, age limit, qualification etc. :- The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.
- 5. Initial Constitution :--Any person(s) appointed in the National Authority for Chemical Weapons Convention, on or before the commencement of these rules, shall be deemed to have been appointed under these rules.
- 6. Disqualification,-No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

- 7. Power to relax :---Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.
- 8. Saving :-- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time.

3 412 01/04 .

60

THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 15, 2005 (PAUSA 25, 1926)

[Part I—Se

				S	CHEDULE				-
lame of he post	No. of posts	Classi- fication	Scale of pay (Rs.)	Whether selection post or non selection post	Age limit for direct recruits	benefit of added	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Adviser	*01 (2004) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A'- Gazetted -Non-' t Ministerial	16400- 450- 20000	Not applicable	Not applicable	No	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Method of recruitment, by direct re or by prome by deputation and percent the posts to by various	whether cruitment otion or on or age of be filled			promotion or dep deputation or abs			es If a Department Promotion Committee exists what it its composition	al Union Commissi consulted recruitm	nces in which Public Service on is to be in making ent
(11)			2	(12)			(13)	(1	4)
Deputation short term		Officers under public sector un recognized re- organizations (a) (i) holding Department; co (ii) with two y on regular bass the parent cad (iii) with eight thereto on regu- in the parent (b) prosessing ESSENTIAL (i) Master's I Chemical Te University or field of organi- four years exp of the provision of law inter- (Period of de deputation (in immediately organization not exceed	the Central indertakings esearch in: g analogou: ears' service is in the sc lar basis in cadre or Depa the follow Degree in C chnology Institute o vears' expe research or nic chemica berience in a cation with eputation (in ncluding sh preceding or Departr five years.	rvice in the grad the scale of pay of epartment; and ving educational of Chemistry or Indu or Chemical En	ng which fro n territories of basis in the dered after ap 14300-18300 e rendered a Rs. 12000-16 qualifications astrial Chemi gineering fr gerial techn ustrial conce nemical indu hemical units onvention Ac ts or Internat m contract) i) in another nt in the san al Governme age limit fo	or Universities or statuto parent cadre pointment ther or equivalent fter appointm 5500 or equival and experien stry or Degree om a recogni cal position i rn engaged in stry, out of wh or implementa t and enforcer ional organisat necluding perio ex-cadre post ne or some o nt shall ordinar	or pry or eto t in eent lent ce: e in sed in a the hich tion. d of held ther arily t by	Service necessar officer (includir from St Union Univers researcl autonom Organiz amendir	tion with Union I Commission y while appointi on deput g short term cor ate Governmer Territories ities or recog h institutes tous bodies or sta tation and ng or relaxing a risions of these n

1 40 40

and a state of the state of the

} 9

1

-iç 18 ลก on ct) 10 10 ed 10 ory ile of s.

PART I—SEC. 2] THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 15, 2005 (PAUSA 25, 1926)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2. Joint Director		Gazetted -Non-	12000- 375- 16500	Not applicable	Not applicabl	No Ic	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	workload	1	- Contraction of the second second						
((11)		(1	2)			(13)		(14)
	tion including	 the public sec Universities or or statutory or; (a) (i) holding or Department; (ii) with five y thereto on regu equivalent in t (b) possessing ESSENTIAL : (i) Master's Department; 	the Central (ctor underta recognized gagizations : analogous p ; or ears' service ilar basis in he parent ca the following	Government faili kings or State research institu ost on regular b in the grade re the scale of pay dre or Departme g educational qu	ng which f or Union asis in the ndered afte of Rs. 100 nnt; and alifications ial Chemisu	territories o nomous bodie parent cadre er appointment 000-15200 or and experience try or Degree	r s e:	Public is appo deput term Gove Terri or r insti bodi Orga amer	nization and whi nding or relaxing ar e provisions of the
		University or (ii) Ten years technical or re	Institute or e ' experience esearch orga	Chemical Engir equivalent. in a manageri nization or inducals and organic	al technica Istrial cond	al position in cern engaged	a	•	
		of deputation held immedia other organiz ordinarily no appointment	(including sl itely precedi ation or Dep of exceed f by deputation g 56 years	uding short term nort term contrac- ng this appoint partment of the our years. The on (including sh as on the close	ct) in anoth ment in the Central G maximum ort term co	er ex-cadre po e same or sor overnment sha n age limit f ontract) shall	ost ne all or be		
	- <u></u>	8		1		£			

THE GAZETTE OF INDIA, JANUARY 15, 2005 (PAUSA 25, 1926)

[PART I-SEC. 2

181

(1) (2)	• (3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	nt Ministerial	10000- 325- 15200	Not applicable	Not applicab	No le	Not applicable No	t applicable	Not applicable
(11)		(1	2)			(13)		(14)
Deputation including short term contract.	thereto on regu equivalent in t (ii) with Eight thereto on regu in the parent of (b) possessing ESSENTIAL (i) Master's E Chemical Teo University or (ii) Five years or research o organic chem (Period of de of deputation held immedia organisation	the Central r undertaking research ins analogous pur ears' service ears' service ilar basis in the parent ca years' servi- lar basis in the cadre or Dep the following the following chanology or Institute or cansation of caparisation of ca	Government fa gs or State or U stitutes or auto ost on regular h in the grade re the scale of pay dre or Departm ce in the grade he scale of pay o artment; and ng educational emistry or Indu Chemical En	iling which nion territor nomous be basis in the endered afte y of Rs. 80 ent; or e rendered f Rs. 6500-1 qualificatio additional free strial Chen gineering f technical por ncern enga industry. erm contract tract) in an nent in the al Governm	ies or Univers odies or statu parent cadre er appointmen 00-13500 or after appoint 10500 or equiv ns and experi histry or Degr from a recog osition in a tec ged in the fir st) including pother ex-cadr same or some ient shall ord	ities itory or it ment valent ence: ree in nised hnical eld of e post c other inarily	Service necessary officer (including from Sta Union Universi research autonom Organiz amendin	ous bodies or statu

62

-

ñ,

1

1

Part I—Sec. 2]

*Subject to

variation

on workload

dependent

Gazetted

Ministerial

Non-

	512.2]			OF INDIA, J	ANOARI	15, 200	JJ (PAUSA 25, 19	20)	0.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4. Technic Officer	al *04 (2004)	General Central Service	6500- 200- 10500	Not applicable	Not applicable	No	Not applicable	Not applicable	Not applicable
	*Subject	Group 'B'-							

(11)	(12)	(13)	(14)
Deputation including short term contract	Deputation (including short term contract) Officers under the Central Government falling which from officers of the public sector undertakings or State or Union territories or Universities or recognised research institutes or autonomous bodies or statutory organizations :	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract) from State Governments or
	(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department, or		Union Territories or Universities or recognized research institutes or
	(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5500-9000 or equivalent in the parent cadre or Department; or	5	autonomous bodies or statutory Organization and while amending or relaxing any of the provisions of these rules.
a K	(ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 5000-8000 or equivalent in the parent cadre or Department; and		
	(b) possessing the following educational qualifications and experience:		
	ESSENTIAL :		
	(i) Master's Degree in Chemistry or Industrial Chemistry or Degree in Chemical Technology or Chemical Engineering from a recognised Unversity or Institute or equivalent.		
	(ii) Two years' experience in a technical position in a technical or research organisation or industrial concern engaged in the field of organic chemicals and organic chemical industry.		
,	[Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications].		
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			RAJU SHARMA, Joint Sec

ti siten-(ten)-04/0007/2003-05 REGISTERED No. DL-(N)-04/0007/2003-05 REGISTERED NO. DL-(N)-05 REGISTERED NO. DL-(N)-04/0007/2003-05

> प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग 1—खण्ड 2

[PART I-SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों को नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली-110004, दिनांक 29 जनवरी 2007

सं. ए-34011/2/06-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री आर. एस. तोमर, को 27 जनवगे, 2007 के पूर्वाह्र से राष्ट्रपति सचिवालय में, अधीक्षक, राष्ट्रपति उद्यान्, के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर. एस. राणा, उप सचिव

दिनांक 1 फरवरी 2007

सं. ए-39011/9/06-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री एम. ए. सिद्दीकी, अनुभाग अधिकारी, राष्ट्रपति सचिवालय,31 जनवरी, 2007 के अपराह् से अधिवर्षिता अवधि के बाद सेवानिवृत्त हो गये हैं।

आर. एस. राणा, उप सचिव

सं. ए-,34011/4.06-प्रधायन--सप्ट्रणनि, श्रीवती एच. को. उप्पल, सहायक, को । फावरी, 2005 के पुर्वाह से राष्ट्रपति सचिवालय में, अनुआग अधिकामे के पद पर नियुक्त करने हैं।

आग एस, पण, २४ यकित

राज्य सभा मचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. आरएस./1524/स्था.(कार्मिक)--अधिवर्षिता को आयु पाण कर लेने पर श्री देवी दास, निदेशक 31 जनवरी, 2006 के अपराह में मेवा नेवृत्त हो गये।

प्र. रं. गुहासद, निदेशक

'सं. आरएस./6(iv)/2007/12-कार्मिक--डा. प्रसन्तजीत योग. अव्यक्ष. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति (श्री सीताराम येचुने) के वैयक्तिक स्टाफ में वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में राज्य सभा सचिव नय में सह-पदावसान के आधार पर नियुक्त किया गया था. की सेवाएं 31 टि पम्च. 2006 के अपराह से समाप्त कर दी गई है।

प्र. रं. गुहामश, विदेशक

सं. आएस...6(jr)/2007/13- कार्मिक---श्री वींग्या कोंडुंगे को ग'य पथ मुडिबालप में । जनवरी, 2007 के पुर्वाह ये आगर्या आदेशों तक वर्णि एकिले

in the step of

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 29 जनवरी 2007

सं. 181/1/2006/1388--राण्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को 31 अगस्त, 2006 से आगामी आदेशों तक के लिए भारत निर्वाचन आयोग में 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

1. श्री तपस कुमार

2. श्री शंगारा राम (अ. जा.)

3. श्री के. अजय क्मार

4. श्री आर. के. श्रीवास्तव

राजेश अग्रवाल, निदेशक (पशासन)

नई दिल्ली-110001. दिनांक 25 जनवरी 2007

सं. ए-20/जी-बी/89--आयोग की दिनांक 8 फरवरी, 2006 की अधिसूचना के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग में रु. 10,000-325-15,200-के वेतनमान में, प्रधान निजी सचिव श्री सी. पी. शर्मा, की प्रतिनियुक्ति की पदावधि दिनांक 31.01.2008 तक या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, एतदुद्वारा बढ़ायी जाती है।

स्टेंडहोप युहलुंग, अवर सचिव

दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. 193/22/1/2007(एमएल)/1450--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करते पर भारत निर्वाचन आयोग में अवर सचिव, श्री में इन लाल दिनांक 31.01.2007 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गये।

स्टेंडहोप युहल्ंग. अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 दिसंबर 2006

सं. ए-32015/3/2006-प्रशा. IV (वि.का.) --कार्मिक झार प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.05.2006 के का. ज्ञा. सं. 5/8/2006-सं. एस.-॥ के अनुसरण में तथा श्रीमती आर. कर्लाई सेल्वी, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की ग्रेड 'ग' आशुलिपिक द्वारा कार्यभार ग्रहण किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, उन्हें रु. 6,500—10,500/- के वेतनमन में दिनांक 31.05.2006 से 31.12.2006 नक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक. इनमें से जो भी पहले हो. विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के केन्द्रीय रग्त्विवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के पट पर नियबत्त कन्त है।

 अपसेक्त प्रोप्तति पूर्णतेया तदर्थ आधार पर की गई है तथा इमये पत्ने रस ग्रेड में अतिश्चित भागय तक् वते रहते अधवा अपगंकत अक्षति के लिए

सचिव के रूप में 10.000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संवंधी समिति (श्री सीताराम येचुरी) के वैयक्तिक स्टाफ में किया गया है।

2. श्री वीरैया कॉडुरी की नियुक्ति राज्य सभा में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति के वर्तमान अध्यक्ष के विवेकाधीन है और यह उनके कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जायेगी।

प्र. रं. ग्हाराय, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी 2007

सं. आरएस./1706/स्था.(कार्मिक)--श्री टी. नाहासामी, वरिष्ठ संसदीय भाषांतरकर के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध को स्वीकार कर लिए जाने के परिणामस्वरूप वह 1 फरवरी, 2007 के पूर्वाह्र से सेवानिवृत्त हो गए।

सी. बी. राय, अवर सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

राष्ट्रीय प्राधिकरण

रासायनिक हथियार समझौता

नई दिल्ली-110021, 8 जनवरी 2007

सं. ए.12018/1/2004-एन ए--भारत के राजपत्र में 15 जनवरी, 2004 को पृष्ठ 59 से 63 में प्रकाशित किए गए राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार समझौता. मंत्रिमंडल सचिवालय (समूह 'क' और समूह 'ख' पर) भर्ती नियम, 2004 (अंग्रेजी रूपांतर) के अंतर्गत उप निदेशक के पद से संबंधित अनुसूची के अधीन स्तम्भ (12) के नीचे पैरा क (ii) को निम्नानुसार पड़ा जाएगा:--

- (क) (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 8,000—13,500/- रुपये या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो; या
 - (iii) जिन्होंने मृल काडर या विभाग में 6,500—10,500/- रुपये या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उम श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की हो; और

राजृ शर्मा, संयुक्त सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 25 जनवरी 2007

सं. ए-12025/01/2005-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के कस्वा और राष्ट्रीय योजना संगठन में अनुसंधान सहायक, श्री गजानन माली को योजना आयोग में अनुसंधान अधिकारी के रूप में 8.000=275-13.500/- रुपये के वेतनमान में पूर्णत: तदर्ध प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 25.01.2007 (पूर्वाह्र) से एक वर्ष की अवधि के लिए, या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियक्ति करते हैं।

आर. के. परमार, अवर भचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi-110004, the 29th January 2007

No. A. 35011/6/01-Adm.—The President is pleased to appoint Shri R. S. Tomar as Superintendent, President's Gardens, President's Secretariat, with effect from the forenoon of 27th January 2007.

R. S. RANA, Dy. Secy.

The 1st February 2007

No. A. 39011/9/06-Admn.—On attaining the age of superannuation. Shri M. A. Siddiqui, Section Officer. President's Secretariat. retired from Govt. Service with effect from the afternoon of 31st January, 2007.

R. S. RANA, Dy. Secy.

No. A. 34011/4/06-Adm.—The President is pleased to appoint Smt. H. K. Uppal, Assistant, as Section Officer, President's Secretariat with effect from the forenoon of 1st February 2007.

R. S. RANA, Dy. Secv.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 31st January 2007

No. RS/1524/Estt (P)—On attaining the age of superannuation. Shri Devi Dass, Director retired from service with effect from the afternoon of the 31st January, 2007.

P. R. GUHA ROY, Dir.

No. RS/6(iv)/2007/12-Perl.—The services of Dr. Prasenjit Bose, who had been appointed as Senior Private Secretary on co-terminus basis in the Rajya Sabha Secretariat in the personal staff of Chairman, Committee on Transport, Tourism & Culture (Shri Sitaram Yechury) have been terminated w.c.f. the afternoon of 31st December. 2006.

P. R. GUHA ROY, Dir.

No. RS/6(iv)/2007/13-Perl.—Shri Veeraiah Konduri has been apointed as Senior Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat in the scale of pay of Rs. 10.000-325-15.200/- in the personal staff of Chairman, Committee on Transport, Tourism & Culture (Shri Sitaram Yechury) w.e.f. the forenoon of 1st January. 2007, until further orders.

2. The appointment of shri Veeraiah Konduri is at the discretion of the present Chairman. Committee on Transport, Tourism & Culture and will be co-terminus with the term of his office.

P. R. GUHA ROY, Dir.

New Delhi-110001, the 1st February 2007

No. RS/1706/Estt. (P)—Consequent on the acceptance of his request for voluntary retirement. Shri T. Nahasamy. Senior Parliamentary Interpreter retired from service with effect from the forenoon of the 1st February, 2007.

C. B. RAI, Under Secv.

CABINET SECRETARIAT

NATIONAL AUTHORITY CHEMICAL WEAPONS CONVENTION

New Delhi-110021, the 8th January 2007

CORRIGENDUM

No. A. 12018/1/2004-NA—The paras (a)(ii) below column (12) under schedule relating to the post of Deputy Director under the National Authority, Chemical V/eapons Convention, Cabinet Secretariat (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment rules, 2004 (English version) published in the Gazette of India on January 15, 2004 vide pages 59—63, shall be read as under :—

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basi in the scale of pay of Rs. 8,000-13,500/- or equivalent in the parent cadre or Department; or

(iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 6,500--10,500/- or equivalent in the parent cadre or Department; and

RAJU SHARMA, 't. Seev.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 25th January 2007

No. A. 12025/01/2005-Admn. II.—The President is pleased to appoint Shri Gajanan Mali Research Assistant. Town & Country Planning Organisation, Ministry - f Urban Development, New Delhi as Research Office in the Planning Commission in the scale of pay of Rs 8,000-275-13,500/- on purely ad-hoc deputation basis, for a period of one year with effect from 25.01.2007 (F3) or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

R. K. PARMAR, Under Secy

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 29th January 2007

No. 181/1/2006/1388—The President of India is pleased to appoint the following officers as Secretary in the scale of pay of Rs. 12.000-375-16.500/- in the Theorem